ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025

दस्तावेज सत्यापन हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य दिशा–निर्देश

1. दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक एवं समय पर ही इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुरमें उपस्थित होना सुनिश्चित करावें।
2. सर्वप्रथम अभ्यर्थी इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के मुख्य द्वार पर अपना परीक्षा प्रवेश–पत्र एवं वैध पहचान–पत्र दिखाकर इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में प्रवेश करेगा।
3. इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर एवं दस्तावेज सत्यापन स्थल पर स्वयं अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति/अभिभावकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक होने पर ही दिव्यांगजन की सहायतार्थ एक सहायक के प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।
4. इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में प्रवेश के पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु चस्पा किए गए दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर लें।
5. अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों को दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रसारित आदेश में निर्धारित क्रमानुसार व्यवस्थित करके ही लावें। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की वैधता ग्राम विकास अधिकारी भर्ती–2025 हेतु जारी विज्ञापन सं. 03/2025 दिनांक 16.06.2025, 18.07.2025, 25.08.2025 एवं इससे संबंधित समय–समय पर जारी अन्य आदेश/निर्देशों के अनुसार ही होगी।
6. अभ्यर्थी इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में चस्पा कक्ष वाईज रोल नम्बर की सूची में अपना रोल नम्बर देखकर उसी अनुसार निर्धारित टोकन काउन्टर से टोकन प्राप्त कर आवंटित दस्तावेज सत्यापन दल के समक्ष दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होवें ।
7. अभ्यर्थी टोकन प्राप्त करने के पश्चात उसको आवंटित दस्तावेज सत्यापन दल के समक्ष (प्राप्त टोकन के क्रम अनुसार) उपस्थित होवें एवं शेष अभ्यर्थी जिन्होने टोकन प्राप्त कर लिया है वे प्रतीक्षा स्थल में अपनी बारी आने का इंतजार करें।
8. अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कोई समस्या होने पर इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर में Help Desk पर अथवा इस हेतु नोडल अधिकारी श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी,संयुक्त आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर मोबोईल नम्बर 9784734228पर संपर्क करें।
9. अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात अनावश्यक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थानपरिसर में नहीं घूमें बल्कि इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थानसे प्रस्थान करें।
10. दस्तावेज सत्यापन हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे दस्तावेज सत्यापन के लिए आने हेतु इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थानपरिसर में पार्किंग की सिमित उपलब्धता कों देखते हुए सार्वजनिक वाहनों का ही उपयोग करें।